



*Ask us any questions or problems faced by you in the course of your business. Our DISH DOCTOR will try and answer them in the best way possible, in the simplest terms, avoiding the unnecessary use of technical terms where possible. The service is available free to our readers and subscribers.*

*Send Your Queries To: Dish Doctor, 312/313, A Wing, 3<sup>rd</sup> Floor, Dynasty Business Park, Andheri Kurla Road, Andheri (E), Mumbai – 400059. or*

*Email: [manoj.madhavan@nm-india.com](mailto:manoj.madhavan@nm-india.com). Now you can WhatsApp Your Dish Doctor Queries To: +91-91082 32956*

### LICENSING FRAMEWORK & OPERATING SESG

**Q:** What are the norms for licensing framework and Operating Satellite Earth Station Gateway (SESG)?

*Bramha Reddy, Satellite Consultant, Hyderabad*

**Ans.:** The process of obtaining license and other approval/permissions should be made simple, time-bound and through an online portal. The Authority is of the view that the process of obtaining SESG license should also be kept simple and through an online portal. The recommendations are –

- For obtaining the SESG license, the applicant company shall apply online to the Government in the prescribed Application Form.
- SESG licensee shall submit the requisite details, in the prescribed format, of the satellite system for which the SESG is proposed to be established. The SESG licensee shall also submit complete details of the terms and conditions of the contract/ license agreement entered into with the satellite operator for establishing the SESG in the prescribed format.
- The process of application for obtaining SESG license as well as the process of its approval should be carried out through online portal in a time bound manner.
- Timelines for grant of SESG license should be specified and it should not be more than a period of 30 days from the date of filing of application, if the



### लाइसेंसिंग फ्रेमवर्क और ऑपरेटिंग एसईएसजी

**प्रश्न:** लाइसेंसिंग फ्रेमवर्क और ऑपरेटिंग सैटेलाइट अर्थ स्टेशन गेटवे (एसईएसजी) के लिए क्या मानदंड हैं?

*ब्रम्हा रेड्डी, सैटेलाइट कंसल्टेंट, हैदराबाद*

**उत्तर:** लाइसेंस प्राप्त करने और अन्य अनुमोदन/अनुमति की प्रक्रिया को सरल, समयबद्ध और एक ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से बनाया जाना चाहिए। प्राधिकरण का विचार है कि एसईएसजी लाइसेंस प्राप्त करने की प्रक्रिया को भी सरल और एक ऑन लाइन पोर्टल के माध्यम से रखा जाना चाहिए। सिफारिशें हैं:

- एसईएसजी लाइसेंस प्राप्त करने के लिए, आवेदक कंपनी निर्धारित आवेदन पत्र में सरकार को ऑन लाइन आवेदन करेगी।
- एसईएसजी लाइसेंसधारी सैटेलाइट प्रणाली, जिसके लिए एसईएसजी स्थापित किये जाने का प्रस्ताव है, के लिए निर्धारित प्रारूप में अपेक्षित विवरण प्रस्तुत करेगा। एसईएसजी लाइसेंसधारी निर्धारित प्रारूप में एसईएसजी की स्थापना के लिए सैटेलाइट ऑपरेटर के साथ किये गये अनुबंध/लाइसेंस समझौते के नियम और शर्तों का पूरा विवरण प्रस्तुत करेगा।
- एसईएसजी लाइसेंस प्राप्त करने के लिए आवेदन की प्रक्रिया के साथ-साथ इसके अनुमोदन की प्रक्रिया समयबद्ध तरीके से ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से की जानी चाहिए।
- एसईएसजी लाइसेंस प्रदान करने की समयसीमा निर्दिष्ट की जानी चाहिए और यदि आवेदक द्वारा प्रस्तुत की गयी जानकारी/दस्तावेज उपयुक्त पाये जाते हैं तो आवेदन दायित्व

information/documents submitted by the applicant are found fit.

- (e) For establishing a new SESG subsequently, the SESG Licensee shall apply in the prescribed format and seek permission of DoT for establishment of the new SESG. The permission for additional SESG should also be simple, and through an online portal.
- (f) Any change in the details (such as name of the company, ownership, address, contact details, etc.) provided by the applicant during obtaining the permission/ license, are required to be intimated through the online portal within 15 days of such change.
- (g) DoT should come out with the guidelines for grant of License for 'Satellite Earth Station Gateway (SESG) for companies desirous to establish Satellite Earth Station Gateway. These guidelines should be available on the DoT's website. The key elements to be included in the guidelines are given below:



- (i) The application process along with the terms and conditions for establishing Satellite Earth Station Gateway, should be clearly defined in the guidelines.
- (ii) Timelines for grant of permission/ license should be specified and it should not be more than a period of 30 days from the date of filing of application, if the information/documents submitted by the applicant are found fit.
- (iii) The guidelines should clearly specify the technical/ operating/ security/ financial conditions under the SESG license and instructions regarding deployment, operations and monitoring of SESGs.
- (iv) SACFA clearance requirements and applicable charges should be clearly specified.
- (v) The Licensor should be having a right to inspect the SESG and its bonafide use.
- (vi) It should be clearly specified that SESG Licensee shall not be permitted to provide any kind of telecommunication service or broadcasting service directly to the consumers, for provision of which, a separate license/ authorization/ permission is required.

करने की तारीख से 30 दिनों की अवधि से अधिक नहीं होनी चाहिए।

- (ई) बाद में नया एसईएसजी स्थापित करने के लिए एसईएसजी लाइसेंसधारी निर्धारित प्रारूप में आवेदन करेगा और नये एसईएसजी की स्थापना के लिए डॉट की अनुमति लेगा। अतिरिक्त एसईएसजी के लिए अनुमति भी सरल और ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से होनी चाहिए।

- (एफ) अनुमति/लाइसेंस प्राप्त करने के दौरान आवेदक द्वारा प्रदान किये गये विवरण (जैसे कंपनी का नाम, स्वामित्व पता, संपर्क विवरण आदि) में कोई भी परिवर्तन, ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से 15 दिनों के भीतर ऐसे परिवर्तन के बारे में सूचित किया जाना चाहिए।

(जी) डॉट को सैटेलाइट अर्थस्टेशन गेटवे स्थापित करने की इच्छुक कंपनियों के लिए सैटेलाइट अर्थस्टेशन गेटवे (एसईएसजी) के लिए लाइसेंस प्रदान करने के लिए दिशानिर्देश जारी करना चाहिए। ये दिशानिर्देश दूरसंचार विभाग के वेबसाइट पर उपलब्ध होना चाहिए। दिशानिर्देश में शामिल किये जाने वाले प्रमुख तत्व नीचे दिये गये हैं:

- (i) सैटेलाइट अर्थस्टेशन गेटवे की स्थापना के लिए नियम और शर्तों के साथ आवेदन प्रक्रिया को दिशा-निर्देशों में स्पष्ट रूप से परिभाषित किया जाना चाहिए।
- (ii) अनुमति/लाइसेंस प्रदान करने की समयसीमा निर्दिष्ट की जानी चाहिए और यदि आवेदक द्वारा प्रस्तुत की जानकारी/दस्तावेज ठीक पाये जाते हैं तो यह आवेदन दायित्व करने की तारीख से 30 दिनों की अवधि से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- (iii) दिशानिर्देशों में एसईएसजी लाइसेंस के तहत तकनीकी/परिचालन/सुरक्षा/वित्तीय स्थितियों और एसईएसजी की तैनाती, संचालन और निगरानी के संबंध में निर्देशों को स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट किया जाना चाहिए।
- (iv) एसएसीएफए निकासी आवश्यकताओं और लागू शुल्कों को स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट किया जाना चाहिए।
- (v) लाइसेंसर के पास एसईएसजी और उसके वास्तविक उपयोग का निरीक्षण करने का अधिकार होना चाहिए।
- (vi) यह स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट किया जाना चाहिए कि एसईएसजी लाइसेंसधारी को सीधे उपभोक्ताओं को किसी भी प्रकार की दूरसंचार सेवा या प्रसारण सेवा प्रदान करने की अनुमति नहीं दी जायेगी, जिसके प्रावधान के लिए एक अलग लाइसेंस/अधिकार/अनुमति आवश्यक है।

- (vii) For the purpose of verification of the commissioning of the SESG, SESG licensee shall register with the Network Operations Control Centre (NOCC) of DoT, as per the prescribed procedure.
- (viii) SESG licensee shall provide an online portal wherein the service licensees/ permission holders can make a request for provision of satellite-based resources.
- (ix) The SESG licensee shall offer satellite-based resources to the telecommunication and broadcasting service licensees/ permission holders in a transparent, fair and non-discriminatory manner. SESG licensee shall declare a Reference Offer on its website.
- (x) SESG licensee shall share the feasibility status clearly stating acceptance/refusal (with reasons thereof, in case of refusal) of the request, through the online portal, with the service licensee/ permission holder within 30 days.
- (xi) The telecommunication and broadcasting service licensees/ permission holders, who are eligible to provide satellite-based communication services in India, shall be allowed to use SESGs established by the SESG licensees by connecting baseband equipment at the SESGs.
- (xii) It should be clearly specified that frequency spectrum will not be assigned to SESG licensees. ■
- (vii) एसईएसजी के चालू होने के सत्यापन के उद्देश्य से एसईएसजी लाइसेंसधारी निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार डॉट के नेटवर्क ऑपरेशंस कंट्रोल सेंटर (एनओसीसी) के साथ पंजीकृत होगा।
- (viii) एसईएसजी लाइसेंसधारी एक ऑनलाइन पोर्टल प्रदान करेगा जिसमें सेवा लाइसेंसधारी/अनुमति धारक सैटेलाइट-आधारित संसाधनों के प्रावधान के लिए अनुरोध कर सकते हैं।
- (ix) एसईएसजी लाइसेंसधारी दूरसंचार और प्रसारण सेवा लाइसेंसधारियों/अनुमति धारक को पारदर्शी, निष्पक्ष और गैर-भेदभावपूर्ण तरीके से सैटेलाइट आधारित संसाधनों की पेशकश करेगा। एसईएसजी लाइसेंसधारी अपनी वेबसाइट पर एक रेफरेंस प्रस्ताव घोषित करेगा।
- (x) एसईएसजी लाइसेंसधारी 30 दिनों के भीतर सेवा लाइसेंसधारी/अनुमति धारक के साथ ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से अनुरोध की स्वीकृति/अस्वीकार (इसके कारणों के साथ, इंकार करने के मामले में) बताते हुए व्यवहार्यता स्थिति साझा करेगा।
- (xi) दूरसंचार और प्रसारण सेवा लाइसेंसधारियों/अनुमति धारकों, जो भारत में सैटेलाइट आधारित संचार सेवायें प्रदान करने के पात्र हैं, को एसईएसजी लाइसेंसधारियों द्वारा एसईएसजी में वेसबैंड उपकरण को जोड़कर स्थापित एसईएसजी का उपयोग करने की अनुमति दी जायेगी।
- (xii) यह स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट किया जाना चाहिए कि फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम एसईएसजी लाइसेंसधारियों को नहीं सौंपा जायेगा। ■

## ADVERTISERS INDEX

<u>COMPANY</u>	<u>PAGE NO.</u>
ALAMBRE	3
FIBER FOX	2
KEITHELECTRONICS	9
MONTRONICS ELECTRONICS	11
NAB SHOW	53
PDR VIDEOTRONICS	15
SEI TRADING	13
VORTEX INFOTECH	6